परिशिष्ट - एक

[19/7/2024]

विधान सभा तारांकित
प्रश्न क्रमांक - 1858

प्रश्न सं. [क्र. 1858]

[1][(घक) उसे वक्फ सम्पत्ति पर अधिक्रमण करने का दोषी अभिधारित किया गया है;]

(ङ) यदि वह किसी पूर्व अवसर पर—

(i) सदस्य या मुतवल्ली के रूप में अपने पद से हटा दिया गया है; या

(ii) कुप्रबन्ध या भ्रष्टाचार के कारण किसी विश्वास के पद से सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा,

हटा दिया गया है।

17. बोर्ड के अधिवेशन.—(1) बोर्ड का कार्य करने के लिए उसका अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष अथवा उसकी अनुपस्थिति में सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य बोर्ड के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे सभी प्रश्न, जो बोर्ड के किसी अधिवेशन के समक्ष आएं, उपस्थित सदस्यों के बहुमत से विनिश्चित किए जाएंगे और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले किसी अन्य व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

18. बोर्ड की समितियां.—(1) बोर्ड, जब कभी आवश्यक समझे, साधारणतः या किसी प्रयोजन विशेष के लिए अथवा किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए, अॅकफ् के पर्यवेक्षण के लिए समितियां स्थापित कर सकेगा।

(2) ऐसी समितियों का गठन, उनके कृत्य और उनके कर्तव्य तथा उनकी पदावधि बोर्ड द्वारा, समय-समय पर अवधारित की जाएगी:

परन्तु ऐसी समितियों के सदस्यों के लिए बोर्ड का सदस्य होना आवश्यक नहीं होगा।

19. अध्यक्ष और सदस्यों का पद त्याग.—अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, राज्य सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित, लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु अध्यक्ष या सदस्य तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति, राजपत्र में अधिसूचित नहीं की जाती।

20. अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना.—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बोर्ड के अध्यक्ष अथवा उसके किसी सदस्य को हटा सकेगी, यदि वह—

(क) धारा 16 में विनिर्दिष्ट किसी निरर्हता से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है; या

(ख) कार्य करने से इन्कार कर देता है या कार्य करने में असमर्थ है अथवा ऐसी रीति से कार्य करता है जिसके बारे में राज्य सरकार, कोई स्पष्टीकरण सुनने के पश्चात् जो वह दे, यह समझती है कि वह अॅकफ् के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है;

(ग) बोर्ड की राय में, पर्याप्त प्रतिहेतु के बिना, बोर्ड के क्रमवर्ती तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है।

(2) जहां बोर्ड का अध्यक्ष उपधारा (1) के अधीन हटाया जाता है, वहां वह बोर्ड का सदस्य भी नहीं रहेगा।

[2][**20क. अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष का हटाया जाना.**—धारा 20 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड के अध्यक्ष को अविश्वास मत द्वारा निम्नलिखित रीति में हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किसी व्यक्ति में विश्वास या अविश्वास मत अभिव्यक्त करने वाला कोई संकल्प विहित रीति के सिवाय और तब तक नहीं लाया जाएगा, जब तक अध्यक्ष के रूप में उसके निर्वाचन की तारीख के पश्चात् बारह मास व्यपगत न हो गए हों और उसे राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना हटाया नहीं जाएगा;

---

1. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2013 की धारा 15 द्वारा दिनांक 1-11-2013 से अंतःस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 27 सन् 2013 की धारा 16 द्वारा दिनांक 1-11-2013 से अंतःस्थापित।

अनुभाग अधिकारी
म. प्र. शासन
पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक
विभाग मंत्रालय